

उत्तर प्रदेश सरकार,
पंचायती राज अनुभाग-1
संख्या: 2334/तिस-1-94-149/94
लखनऊ, दिनांक 9 मई, 1994

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या 26 तन् 1947 की धारा 96-क के अधीन शक्ति का
प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 11-च
के अधीन राज्य सरकार की शक्ति निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश,
में जो प्रतिनिहित करते हैं।

1730

उपनिदेश (पंच)

पंच
निदेशक
11/5/94

आज्ञा से,

डा० यशराज सिंह
सचिव।

संख्या-2354/11/33-1-94-149/94 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निदेशक, पंचायत राज 3090 लखनऊ।
 - 2- राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायत एवं स्थानीय निकाय, 3090 लखनऊ।
 - 3- समस्त मण्डलायुक्त, 3090।
 - 4- समस्त जिलाधिकारी, 3090।
 - 5- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 3090।
 - 6- पंचायती राज अनुभाग - 2/3

आज्ञा से

डेवदत्त दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-2334/11/33-1-94-149/94 दिनांक 9 मई, 1994

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय प्रेस सेवाएं
लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञापित की 9 मई, 1994
के असाधारण मजदूरी के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 1ख में अवश्य प्रकाशित
कर दें, तथा उसकी 500 प्रतियां शासन के पंचायती राज अनुभाग-1 को तुरन्त
भिलवाने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से

डेवदत्त दीक्षित
विशेष सचिव।